**संख्या -144/2026/688/35-4-2026/35-4099/396/2021**

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2026

**विषय – जनपद प्रयागराज में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक 07/त्व0आ0वि0यो0/2025-26, दिनांक 01.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-55/2026/524/35-4-2026/35-4099/396/2021 दिनांक 30.03.2026 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में सड़क निर्माण से संबंधित स्वीकृत 13 कार्यों में से 01 कार्य यथा- ग्राम सभा धरांव गजपति(आहोपुर नेवढ़िया)में नहर पटरी से पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य हेतु अवशेष देय धनराशि रू० 5.85 लाख (रु० पाँच लाख पचासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुक्त की गयी थी, परन्तु ग्रिड (वित्तीय आवंटन) नहीं होने के कारण उक्त धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जा सकी। तत्क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2026 द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 55/2026/524/35-4-2026/35-4099/396/2021 दिनांक 30.03.2026 द्वारा जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में सड़क निर्माण से संबंधित स्वीकृत 13 कार्यों में से 01 कार्य- ग्राम सभा धरांव गजपति(आहोपुर नेवढ़िया)में नहर पटरी से पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य हेतु अवशेष देय धनराशि रू० 5.85 लाख (रु० पाँच लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अवमुक्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। तद्नुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2026 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-2026 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2026-2027 पढ़ा जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को आहरित किये जाने में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति ( duplicacy) नहीं होने पाये।

4- प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 30.03.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-144/2026/688(1)/35-4-2026/35-4099/396/2021, तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण / ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, प्रयागराज मण्डल ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5, उ0प्र0 शासन |
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज ।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रयागराज ।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन |
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।